न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः– 46/2018 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांकः– 01/05/2018
निर्णय दिनांकः– 28/08/2019

अनवान

1. बंशीलाल पिता लक्ष्मण अहीर निवासी सकरावास तह0 रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास तह0 रेलमगरा
2. मोडा पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास तह0 रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत है कि ग्राम सकरावास में प्रार्थी के नाम की आराजी सख्या 404 रकबा 00–19 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर प्रार्थी का ही आधिपत्य उपयोग उपभोग चला आ रहा है उक्त आराजी आबादी के सटमा स्थित है। तथा आबादी से आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता विद्यमान है। प्रमाण में नकल जमाबंदी, नक्शाट्रेस वर्तमान की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है प्रार्थी की आधिपत्य शुदा उक्त आराजी संख्या 404 के उत्तरी दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 स्थित है जो आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता के सटमा स्थित है। जो ग्राम सकरावास की आबादी की आराजी संख्या 382 आ.चा. से लेकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक सीसी रोड बनी हुई है। प्रार्थी की आराजी संख्या 404 में कृषि कार्य हेतु आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता से विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 की नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 404 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त

सहायक कलक्टर

करने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 की पश्चिमी दिशा की पाली से होकर अपनी आराजी संख्या 404 के पश्चिमी उत्तरी कोने से प्रवेश करता है । प्रार्थी की अपनी आराजी संख्या 404 में आने जाने हेतु उक्त रास्ता एकमात्र रास्ता है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। आराजी संख्या 403 विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज होने एवं कब्जे में होने से विपक्षीगण जबरन अपने भुजबल के आधार पर प्रार्थी को उक्त कदीमि रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान, बाधा, रूकावट कारित करते है, उक्त रास्तें को आये दिन बंद कर प्रार्थी को अपने आराजी संख्या 404 में आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होते हुए भी जलील परेशान करते है एवं आज से करीब 03 माह पुर्व उक्त रास्ता बंद कर देने से प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 404 में आने जाने से वंचित है। जिससे प्रार्थी अपने खेत की हंकाई, बुवाई कृषि काश्त इत्यादि करने से वंचित रह रहा है प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग एवं बंद नहीं करने बाबत् विपक्षीगण को कहां तो विपक्षीगण ने उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को आने जाने हेतु एवं रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु मना करते हुए उक्त रास्ता बंद कर दिया। जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रास्ता प्राप्त करने हेतु आप न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी को अपने आराजी संख्या 404 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतु विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 403 के उत्तरी दिशा मे जो आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता स्थित है जिसके दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 की पश्चिमी पाली से लेकर प्रार्थी की आराजी संख्या 404 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक 13 फीट चौडा व सम्पुर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है अर्थात आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता से लेकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 की पश्चिमी पाली पर प्रार्थी की आराजी संख्या 404 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक 13 फीट चौडा रास्ते की सख्त आवश्यकता है जो प्रार्थी कानुनन प्राप्त करने का एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का विधिक रूप से अधिकारी है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 में वर्णित रास्ते की प्रार्थी को अत्यंत आवश्यकता है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते के बिना अपने खेत के उपयोग उपभोग कृषि काश्त

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से वंचित हो रहा है जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिये दिलाया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है उसके उपरान्त न्यायालय आप द्वारा प्रार्थी को विहित करने का आदेश बक्षाया जायेगा उस आदेश की पालना प्रार्थी करने को तैयार एवं तत्पर है। तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 में जो कदीमी रास्ता वर्णित किया गया है उसे प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शाट्रेस में रास्ते के रूप में इंद्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत है विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी संख्या 404 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते से आज से करीब 3 माह पूर्व प्रार्थी को रोक दिया गया तथा थोहर बाड कर उक्त रास्ते को बंद कर दिया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते से निकलने पर विपक्षीगण द्वारा लडाई झगडा करने एवं मारपीट करने पर उतारू होने से उक्त प्रार्थना पत्र का हेतुक आज से 3 माह पूर्व से एवं अंतिम बार आज से दो दिन पूर्व रास्ता खोलने हेतु कहा तो विपक्षीगण ने मना का दिया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। विपक्षी संख्या 03 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 404 में हल, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 403 की उत्तरी दिशा की तरफ जो आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता स्थित है वहां से आराजी संख्या 403 की पश्चिमी दिशा की पाली से प्रार्थी की आराजी सख्या 404 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक 13 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई तक रास्ता विपक्षीगण से दिलाया जावें। उक्त रास्ता प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में व नक्शाट्रेस में इन्द्राज कराया जावे विकल्प में निवेदन है कि न्यायालय यदि विपक्षीगण को प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित समझता है तो आप न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर की राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है, तथा प्रतिकर राशि जमा होने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शाट्रेस में इन्द्राज कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जा कर विपक्षीगण को जरिये सुचना तलब किया गया विपक्षीगण बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा रास्ते के सम्बंध में मौका रिपोर्ट ली गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम सकरावास के प्रार्थी की ग्राम आराजी संख्या 403 की उत्तरी दिशा की तरफ जो आराजी संख्या 400 किस्म रास्ता स्थित है वहां से आराजी संख्या 403 की पश्चिमी दिशा की पाली से प्रार्थी की आराजी सख्या 404 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक सम्पूर्ण रास्ते की चौडाई 02 गठठा तथा लम्बाई 10 गठठा कुल रकबा 00–01 बिघा भुमि (तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते) को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी से उक्त रकबे की वर्तमान पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/8/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा